साथ-मिलकर एक समावेशी समुदाय का निर्माण करना

# Hindi | हिन्दी

# सारांश परामर्श पत्र: सरकारें, व्यवसाय और समुदाय मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं

## *यह एक सारांश परामर्श पत्र है। यह Australia’s Disability Strategy 2021-2031 (ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031) (कार्यनीति) में मार्गदर्शक सिद्धांतों का त्वरित अवलोकन प्रदान करता है। हम इस बारे में उदाहरणों के लिए पूछते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांत कैसे काम कर सकते हैं। संपूर्ण परामर्श पत्र में प्रत्येक मुद्दे के बारे में और अधिक विवरण प्रदान किए गए हैं, परिभाषाएँ दी गई हैं और अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए हैं।*

## यह कार्यनीति विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की एक योजना है। इस कार्यनीति को सरकार के सभी स्तरों और विकलांगता-ग्रस्त लोगों, उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विकसित किया गया था। इसे विकसित करने में दो वर्षों के लिए परामर्श किया गया। यह कार्यनीति [विकलांगता गेटवे](https://www.disabilitygateway.gov.au/sites/default/files/documents/2021-11/1786-australias-disability.pdf) पर उपलब्ध है।

## इस योजना के तहत सरकारों, व्यवसाय और समुदाय को विकलांगता-ग्रस्त लोगों को बेहतर ढंग से शामिल करने में सहायता देने के लिए आठ सिद्धांत नियत किए गए हैं। संगठनों को इन सिद्धांतों का उपयोग अपनी किसी भी नई कार्यवाही में करना चाहिए, चाहे वे सरकार, व्यवसाय या समुदाय हों (उदाहरण के लिए, नई इमारतों का निर्माण करते समय या ऑस्ट्रेलियावासियों को सेवाएँ प्रदान करते समय)।

ये आठ सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा विकसित किए गए सिद्धांतों पर आधारित हैं, और इन्हें विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रसंविदा (सीआरपीडी) [Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)] में नियत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सीआरपीडी (UN CRPD) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो सुनिश्चित करता है कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अन्य सभी लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं और विकलांगता-ग्रस्त लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाता है।

सरकारों, व्यवसाय और समुदाय को इन सभी आठ सिद्धांतों का उपयोग करने में सहायता देने के लिए सरकारें एक मार्गदर्शिका विकसित कर रही हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक मांग रही हैं कि इसमें विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।



**अपनी राय सामने रखें:**

**प्रत्येक सिद्धांत के लिए कृपया एक उदाहरण प्रदान करें:**

**1. विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए क्या बातें अच्छी तरह से काम करती हैं**

**2. विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए क्या बातें काम नहीं कर रही हैं**

**सिद्धांत 1: लोग अपने विकल्पों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रस्तावित कार्यवाही:

* विकलांगता-ग्रस्त लोगों को विकलांगता-मुक्त लोगों के समान ही अपने विकल्प चुनने में सहायता मिलती है
* आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समर्थित निर्णय लेने की सुलभता प्राप्त होती है।

ध्यान दें - कार्यनीति में इस सिद्धांत के लिए संपूर्ण शब्दावली इस प्रकार है*: "अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान, अपने लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता के साथ व्यक्तिगत स्वायत्तता, और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है"*।

**सिद्धांत 2: किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा (भेदभावहीनता)**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रस्तावित कार्यवाही:

* विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992), राज्य और राज्य-क्षेत्र भेदभाव विरोधी कानून और संयुक्त राष्ट्र सीआरपीडी (UN CRPD) के अनुपालन में होगी
* अप्रत्यक्ष भेदभाव से वंचित होगी और समुचित समायोजनों का समर्थन करेगी (उदाहरण के लिए, यदि दृष्टि अल्पक्षमता वाले किसी व्यक्ति को अपना काम करने के लिए स्क्रीन रीडर या अन्य तकनीक की आवश्यकता है, तो उन्हें यह उपलब्ध प्रदान कराना)।

**सिद्धांत 3: विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समाज में शामिल होने का उतना ही अधिकार है, जो किसी अन्य व्यक्ति को है**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या प्रस्तावित कार्यवाही से इन बातों को समर्थन मिलेगा:

* सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में समावेश और भागीदारी
* लोग अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुँच सकें।

ध्यान दें - कार्यनीति में इस सिद्धांत के लिए संपूर्ण शब्दावली इस प्रकार है: *"समाज में संपूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश"*।

**सिद्धांत 4: विकलांगता-ग्रस्त लोगों का उसी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे वे हैं**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रस्तावित कार्यवाही:

* सभी विकलांगता-ग्रस्त लोगों के मूल्य और गरिमा का सम्मान करती है और उनकी पहचान को मान्यता देती है।

ध्यान दें - कार्यनीति में इस सिद्धांत के लिए संपूर्ण शब्दावली इस प्रकार है*: "मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अंतरों और स्वीकृति के लिए सम्मान"*।

**सिद्धांत 5: सभी के पास समान अवसर (अवसर की समानता) होने चाहिए**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों को इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या प्रस्तावित कार्यवाही से:

* विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने में अनुचित रूप से सीमित करने वाले अवरोध या प्रक्रियाएँ पैदा होंगी।

**सिद्धांत 6: सभी के पास समान सुलभता (एक्सेसिबिलिटी) होनी चाहिए**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रस्तावित कार्यवाही:

* में सुलभ जानकारी, प्रौद्योगिकी, सेवाएँ और स्थान शामिल होंगे
* सार्वभौमिक अवरचना के सिद्धांतों को लागू करेगी (ताकि सभी लोगों को किसी विशेष या अनुकूलित सुविधाओं की आवश्यकता के बिना सेवाओं और इमारतों में सुलभता हासिल हो सके)।

**सिद्धांत 7: सभी विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे उनकी जाति, लिंग या अन्य विशेषताएँ कुछ भी हों (लोगों की समानता)**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रस्तावित कार्यवाही:

* मतभेदों और पहचानों के बावजूद सभी लोगों के संपूर्ण विकास, उन्नति, सशक्तिकरण और समानता का समर्थन करेगी
* सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित और उपयुक्त होगी।

**सिद्धांत 8: विकलांगता-ग्रस्त बच्चों (0-18 वर्ष की आयु) के बड़े होने के दौरान वे जो हैं, इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए**

इस सिद्धांत को लागू करने में लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रस्तावित कार्यवाही:

* का अर्थ विकलांगता-ग्रस्त बच्चों के साथ विकलांगता-मुक्त बच्चों के समान व्यवहार किया जाना होगा
* बच्चे/बच्ची के सर्वोत्तम हित के विचार को प्राथमिक विचार के रूप में लेगी
* विकलांगता-ग्रस्त बच्चों को उनकी उम्र और परिपक्वता के आधार पर निर्णय लेने का अवसर देगी
* सहायता उपलब्ध कराएगी, ताकि विकलांगता-ग्रस्त बच्चे निर्णय ले सकें या निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

**अतिरिक्त प्रश्न – अपनी राय सामने रखें:**

**1. क्या आपके विचार में ऊपर दी गई सूची में कोई अन्य सिद्धांत शामिल किए जाने चाहिए?**

**2. क्या आपके पास इस बारे में कोई अन्य सुझाव हैं कि संगठन अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं?**

**और अधिक जानकारी, परिभाषाओं तथा फीडबैक के बारे में अन्य** विचारों के लिए आप यहाँ से संपूर्ण परामर्श पत्र प्राप्त करस**कते**/सकती **हैं:**

<https://engage.dss.gov.au/ads-consultations-develop-guide-evaluation>

**आप फीडबैक कैसे दे सकते/सकती हैं**

**हमें लिखित प्रस्तुति भेजें**

आप लिखित प्रस्तुति यहाँ भेज सकते/सकती हैं:

Australia’s Disability Strategy Governance and Engagement Section

GPO Box 9820

Department of Social Services

Canberra, ACT 2601

**वेब**

डीएसएस एंगेज (DSS Engage) पर परामर्श वेबसाइट के माध्यम से

इस परामर्श पत्र को डाउनलोड करें

इस परामर्श पत्र का एक आसान अंग्रेज़ी संस्करण डाउनलोड करें

लिखित प्रस्तुति को एंटर या अपलोड करें

ऑस्लैन (Auslan) वीडियो देखें

एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाएँ: यदि आप अपनी प्रस्तुति की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते/चाहती हैं, तो ऐसा करने का तरीका जानने के लिए डीएसएस एंगेज (DSS Engage) पर जाएँ।

यदि आप अपनी प्रस्तुति को ऑनलाइन अपलोड करते/करती हैं, जिसमें ऑनलाइन टेम्पलेट के माध्यम से भी ऐसा करना शामिल है, तो आपको यह बताने के लिए कहा जाएगा कि क्या आप अपनी प्रस्तुति को डीएसएस (DSS) वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहते/चाहती हैं।

यदि आप ईमेल या सामान्य डाक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति भेजते/भेजती हैं, तो कृपया बताएँ कि क्या आप अपनी प्रस्तुति को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहते/चाहती हैं।

परामर्श प्रक्रिया के बारे में प्रश्नों को [disabilityreform@dss.gov.au](mailto:disabilityreform@dss.gov.au) पर भेजा जा सकता है।

आप सामाजिक सेवाएँ विभाग (Department of Social Services) को **1800 334 505** पर कॉल भी कर सकते/सकती हैं।

**प्रस्तुति जमा करने की अंतिम तिथि बुधवार** 30 **नवंबर 2022 - रात 11:59बजे है।**